कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 4749 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 24-2- 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0 खटीमा,
ऊधम सिंह नगर।

विषयः– मा0 मु0 घोषणा संख्या–19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– शेष धनराशि जमा करने के संबध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) 'प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.96 है0(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।'

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा पूर्व में 1.96 है0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 879630.00(आठ लाख उन्नासी हजार छः सौ तीस मात्र) की धनराशि कैम्पा में जमा की गयी है। किन्तु उक्त प्रकरण के प्राक्कलन अनुसार 1184081.00 (ग्यारह लाख चौरासी हजार इक्कासी रूपये मात्र) की धनराशि का आंकलन किया गया है। उत्तराखण्ड शासन में मौखिक वार्ता के अनुसार निर्देश दिये गये है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित सी0ए0 की अवशेष धनराशि भी जमा करायी जाये।

उक्त के संबध में आपको अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस वन प्रभाग के एक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के आदेशानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करायी गयी है। जिसका विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त प्रकरण में संशोधित सी0ए0 के अनुसार अवशेष धनराशि 304451.00 रू0 जमा करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी